फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री लोगर** | विपक्षी :– **श्री प्रभु**

किस्म मुकदमा :– 53,188 आरटीएक्ट | पत्रावली संख्या :– 40/17

जीसीएमएस नम्बर :– 2017/00073

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 15.12.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 28.12.2021 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी। प्रारम्भिक डिक्री अनुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा गया। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौके पर स्वयं वादी को प्रारम्भिक डिक्री तैयार करने हेतु कब्जा काश्त बताने हेतु पुछताछ की गई तब वादीगण द्वारा बंटवाड़ा नहीं करने हेतु कहा गया। समझाईश करने पश्चात एवं प्रारम्भिक डिक्री की सम्पूर्ण जानकारी देने के पश्चात भी वादीगण द्वारा प्रारम्भिक डिक्री नहीं करने हेतु कहा गया। तहसीलदार द्वारा मौका पर्चा भी प्रस्तुत किया गया। मौका पर्चा पर भी वादी के हस्ताक्षर है।

अधिवक्ता वादी द्वारा निवेदन किया गया कि वादी के हक अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव नही पड़े इस हेतु प्रकरण को भविष्य में नया वाद प्रस्तुत करने के आधार पर ड्रोप किया जाकर खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नही है।

चूंकि प्रकरण में स्वयं वादी ही वर्तमान में बंटवाड़ा नही चाहता है तथा अधिवक्ता वादी नया वाद लाने के अधिकारो को सुरक्षित रखते हुए प्रकरण को ड्रोप करवा खारिज करवाना चाहते है तो ऐसे में प्रकरण को आगे चलाने का कोई औचित्य नही है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार वाद वादी नया वाद प्रस्तुत करने के अधिकारो को सुरक्षित रखते हुए इसी स्तर पर ड्रोप किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:25:31 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली